

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, जैसलमेर

पीठासीन अधिकारी : श्री मुन्नीराम बागड़िया, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 11/2023

GCMS NO. 2023/44

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1. रामचन्द्र पुत्र श्री आसकरण जाति छंगाणी उम्र 55 वर्ष निवासी रेलवे स्टेशन के पास रामदेवरा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।

1. श्रीमती नारायणी देवी पत्नी श्री आसकरण जाति छंगाणी उम्र 85 वर्ष निवासी माणक चौक सुनारों की गली फलोदी तहसील एवं जिला फलोदी।
2. ग्राम पंचायत रामदेवरा जरिये पदेन सचिव ग्राम सेवक रामदेवरा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।
3. सरपंच ग्राम पंचायत रामदेवरा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :-

1. श्री धर्मेन्द्र सिंह मोहता, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री कंवराज सिंह, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।

:: निर्णय ::

दिनांक :- 28.03.2024

प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नोटिस अप्रार्थीगण को जारी किये गये। निगरानी प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के कथनानुसार अप्रार्थी संख्या 01 को ग्राम पंचायत रामदेवरा द्वारा जारी आवासीय पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बने नियमों के विरुद्ध फर्जी व गलत जारी किया गया है। प्रार्थी का कथन है कि दिनांक 11.10.1981 को या इससे पूर्व प्रश्नगत पट्टा जारी करने के लिए ग्राम पंचायत की कोई बैठक नहीं रखी गई थी और न ही पट्टा देने संबंधी कोई प्रस्ताव पारित हुआ था और न ही कोई मौका निरीक्षण हुआ था, न ही कोई नीलामी की कार्यवाही हुई है। प्रार्थी का आगे कथन है कि सारी कार्यवाही अन्दर ही अन्दर की गई है सार्वजनिक नहीं की गई है। प्रार्थी का कथन है कि वादग्रस्त जायदाद पर 35-40 वर्षों से अपने स्वतंत्र अधिकारों के तहत मकान का निर्माण कर निवास कर रहा है, जहाँ उसका मकान बना हुआ है। बमिलावट अप्रार्थी 3 से पट्टा जारी कराया गया जो राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत सा. नियम 1961 व धारा 87 राजस्थान पंचायत नियम 1953 के


मुवर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(एडीएम) जैसलमेर

नियमों के विरुद्ध है एवं प्रारंभत नल एंड वोर्ड होने से निरस्ती योग्य है। प्रार्थी का अनुरोध है कि प्रश्नगत पट्टा खारिज किया जाए।

अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जबाब में निवेदन कया गया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित बिन्दु, तथ्यों के विपरीत एवं आधारहीन है और यह कि प्रश्नगत पट्टा विधि सम्मत एवं पोषणीय है। अपने जबाब के समर्थन में अप्रार्थी संख्या 01 को जारी प्रश्नगत पट्टे की ग्राम पंचायत रामदेवरा द्वारा पट्टा जारी करने संबंधी पट्टा बुक, प्रश्नगत पट्टे के पंजीयन तथा कार्यवाही की प्रमाणित छाया प्रतियां प्रस्तुत की। आगे कथन किया कि विवादित मकान प्रार्थी के पिता व अप्रार्थिया के पति का है जिसमें अप्रार्थिया निवास करती थी जो प्रार्थी की माता है वर्ष 2017 में जबरदस्ती धक्के देकर तंग परेशान कर प्रार्थी ने अपनी मां यानि अप्रार्थिया को निकाला है, उसके पास सात-आठ मकान व होटल होते हुए भी अपनी माता को बेदखल किया, जो मकान हड़पने की गरज से किया है। जो अनैतिक व गैरकानूनी है। आगे कथन किया कि अपनी माता के नाम से जारी पट्टे की पूर्ण जानकारी होते हुए भी वर्षों बाद में गलत आधारों पर म्याद बाहर निगरानी याचिका विलम्ब से प्रस्तुत की गई जो म्याद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।


उभय पक्षों की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत रामदेवरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से जारी आवासीय पट्टा विधि विरुद्ध होने से निरस्ती योग्य है। उनका आगे तर्क रहा है कि प्रश्नगत पट्टा जारी करने में निर्धारित विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है एवं प्रश्नगत पट्टा मिलावट से फर्जी जारी हुआ है जिस पर साक्षियों के हस्ताक्षर नहीं है जिसे निरस्त किया जाना वांछनीय है। अधिवक्ता प्रार्थी ने आगे निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 बनाराजगी प्रार्थी से जबरन उसका कब्जा निवास हटाना चाहती है और अपना पट्टा होने की बात बताती है जिसकी अभी जानकारी होने पर पट्टे के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर प्रार्थी ने निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है। मान्य राजस्थान उच्च न्यायालय ने इसाक खान बनाम राजस्थान राज्य डीबी स्पेशल रिट नंबर 918/2017 में भी निर्धारित किया कि झूठे कुटरचित तथ्यों के आधार पर मिलावटी कार्यवाई से अगर कोई जमीन आवंटन, नियमन/बेचान से प्राप्त की जाती है तो उसमें कोई म्याद अवधि निर्धारित नहीं होती है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 का तर्क रहा कि प्रश्नगत पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियमों के अंतर्गत प्रावधित प्रक्रिया का पालन करते हुए ग्राम पंचायत रामदेवरा द्वारा जारी किया गया है जिसका अभिलेख विधिवत संधारित है। उन्होंने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अप्रार्थी संख्या 01 नारायणी देवी पत्नी श्री आसकरण को जारी पट्टा, 1982 का अप्रार्थिया


अतिरिक्त जिला कलक्टर
(एडीएम) जैसलमेर

गो अपने पति के साथ विवादित मकान का फोटो, पंजीबद्ध पट्टे की प्रतियां, बक्सीस नामा, श्रीमती सरस्वती देवी द्वारा दी गई थाना में रिपोर्ट की प्रति व अप्रार्थिया द्वारा दर्ज करवाई गई एफ आई आर नंबर 14/2017 पुलिस थाना रामदेवरा भी संलग्न जवाब पेश किये जा चुके हैं। प्रार्थी द्वारा अपनी माता नारायणी देवी के साथ किये जा रहे अत्याचार व मकान पर कब्जों के प्रयास से तंग आकर नारायणी देवी अपने पुत्रवधु श्रीमती सरस्वती के साथ रहना शुरू किया वहां जीवणलाल की बेवा पत्नी एवं उनके पुत्र अप्रार्थिया की सेवा करते हैं। इसलिए श्रीमती नारायणी देवी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बक्सीस नामा दिनांक 31.12.2014 को उक्त विवादित दोनों ही निर्मित मकान पट्टा युक्त को अपनी पुत्रवधु श्रीमती सरस्वती पत्नी स्व. जीवणलाल के नाम बक्सीस कर दिया और उसका कब्जा उनके सुपुर्द कर दिया तब से उक्त विवादित मकान पर कब्जा श्रीमती सरस्वती देवी और उनके पुत्रों का है। जिनको पक्षकार नहीं बनाया गया है जिस कारण याचिका चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी द्वारा विधुत विभाग को एकमात्र वारिस होने का शपथ पत्र पेश करना एवं आसकरण का दूसरा मृत्यु प्रमाण पत्र रामदेवरा में फर्जी तरीके से बनाया गया जो प्रथम दृष्टया गलत प्रतित होता है। फलोदी में हुए दाह संस्कार के दस्तावेज संलग्न पेश है। प्रार्थी ने रंजिश रखते हुए निगरानी प्रस्तुत की है जो संधारणीय नहीं है उनका तर्क रहा कि प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जाए।


उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रार्थी ने कथन किया कि उक्त पट्टास्थल पर प्रार्थी का 35-40 वर्षों से अपना मकान बनाकर निवास कर रहा है। पट्टे पर साक्षियों के हस्ताक्षर नहीं है। और न ही प्रश्नगत पट्टे के संबंध में राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 के नियमानुसार मौका निरीक्षण, प्रस्ताव एवं निलामी की कार्यवाही से संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध है जिसका अप्रार्थी द्वारा खण्डन नहीं किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी.बी. एसपीएल. अपील रीट नं. 918/2017 इशाक खान S/o नूरे खां बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में दिये गये निर्णय अनुसार दस्तावेज का पंजीकरण कराने से किसी अवैध जारी दस्तावेज को वैध नहीं माना जाएगा। साथ ही धोखाधड़ी करके किसी कानूनी अधिकार के बिना प्राप्त स्थानीय प्राधिकारी या सरकार की भूमि का आवंटन शून्य है और ऐसे आवंटन को रद्द करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रास्ते में कोई सीमा नहीं है। ग्राम विकास अधिकारी रामदेवरा द्वारा प्रस्तुत मूल पट्टा बुक का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी सं. 1 को ग्राम पंचायत रामदेवरा द्वारा दिनांक 11.10.1981 को जारी पट्टा संख्या 44/3 पर तत्कालीन साक्षियों के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं। राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम, 1953 के अनुसार पट्टे पर आवेदक एवं साक्षियों के हस्ताक्षर होना आज्ञापक है। यह गंभीर अनियमितता है। इसके अलावा यह पट्टा राजस्थान


अतिरिक्त जिला कलक्टर
(एडीएम) जैसलमेर

पंचायत (सामान्य) नियम, 1953 के नियम 256 से 264 (आवादी भूमि की नीलामी) तहत कोई भी व्यक्ति जो पंचायत से कोई आवादी भूमि खरीदना चाहता है, पंचायत को लिखित में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा लेकिन ग्राम पंचायत रामदेवरा द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेजों में आवेदन से संबंधित कोई कार्यवाही नहीं की गई है जो की गंभीर अनियमितता है। ग्राम विकास अधिकारी रामदेवरा द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेज में राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 के नियमानुसार आवश्यक शुल्क की रसीद संख्या भी अंकित नहीं की गई है एवं न ही रसीद संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। जो कि एक अन्य गंभीर अनियमितता है। प्रश्नगत पट्टे के संबंध में राजस्थान पंचायत अधिनियम (1953 का अधिनियम संख्या 21) के नियमानुसार मौका निरीक्षण, प्रस्ताव एवं निलामी की कार्यवाही से संबंधित आवश्यक दस्तावेज ग्राम पंचायत रामदेवरा में उपलब्ध नहीं होना गंभीर अनियमितता है।

अतः प्रश्नगत पट्टा खारिज किए जाने योग्य होने से एतद्वारा दिनांक 11.10.1981 को जारी पट्टा संख्या 44/3 खारिज किया जाता है। पक्षकार अपना-अपना व्यय वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


(मुन्नीराम बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
जैसलमेर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(एडीएम) जैसलमेर